ई–गवर्नेन्स सोसाईटी (आर0एल0ए0) रामपुर, जिला शिमला का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 02/2006 से 03/2014

1 प्रारम्भिकः–

(क) हिमाचल प्रदेश सरकार, परिवहन विभाग की अधिसूचना संख्या टी0पी0टी0–एफ (1) 3/2000, ई–गवर्नेन्स दिनाँक 3.09.05 के अन्तर्गत प्रदेश सरकार की ई–गवर्नेन्स सोसाईटियों की परिवाहन से सम्बन्धित निधियों का अंकेक्षण स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ई– गवर्नेन्स सोसाईटी रामपुर के अवधि 02/2006 से 03/2014 के लेखाओं का वर्तमान एवं प्रथम अंकेक्षण स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग के श्री अनिल शर्मा (अनुभाग अधिकारी) एवं रविन्द्र सिंह (अनुभाग अधिकारी) द्वारा दिनांक 18.10.14 से 13.11.14 के दौरान रामपुर में किया गया। ई–गवर्नेन्स सोसाईटी रामपुर का गठन, सभायें पंजीकरण अधिनियम XXI 1860 (हिमाचल प्रदेश संशोधित अधिनियम 1973) के अन्तर्गत किया गया था। वर्तमान अंकेक्षण के दौरान आय की विस्तृत जांच हेतु माह 02/2006, 01/2007, 04/2007, 03/2009, 06/2009, 03/2011, 06/2011, 09/2012, 03/2014 तथा व्यय की विस्तृत जांच हेतु माह 01/2007, 07/2007, 02/2009, 01/2010, 05/2010, 07/2011, 07/2012, 08/2013 के लेखाओं का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

(ख) अंकेक्षण अवधि में निम्नलिखित अधिकारी सोसाईटी के सचिव के पद पर कार्यरत रहेः–

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्री देवेन्द्र कुमार रत्न	23.04.03 से 01.11.07
2	श्री दिलीप नेगी	01.11.07 से 05.07.08
3	श्री गोपाल चन्द	05.07.08 से 07.12.09
4	श्री राजीव कुमार	07.12.09 से 19.08.10
5	श्री राणा प्रितपाल सिंह	19.08.10 से 30.09.11
6	श्री मोहर सिंह चौहान	12.10.11 से 31.05.12
7	श्री के0आर0 सैजल	18.06.12 से 14.01.13
8	श्री दिलीप नेगी	14.01.13 से लगातार

(ग) गम्भीर अनियमितताओं का सारः–

क्र0सं0	पैरा सं0	विवरण	₹ लाखों में
1			
2			
3			
4			

(घ) यह अंकेक्षण प्रतिवेदन को संस्था द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर तैयार किया गया है। उक्त संस्था द्वारा कोई सूचना उपलब्ध न करवाने अथवा गलत सूचना उपलब्ध करवाने पर पाई गई अनियमितताओं एवं त्रुटियों के लिए स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग उतरदायी नहीं होगा।

2 अंकेक्षण शुल्कः–

ई–गवर्नेन्स सोसाईटी रामपुर के अवधि 02/2006 से 03/2014 के लेखों के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क वास्तविक कार्य दिवस के आधार पर कुल ₹30000/– आंका गया है। अंकेक्षण शुल्क की इस राशि को राजकीय कोष में जमा करवाने के लिए इसे निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–09 को बैंक ड्राफट के माध्यम से भेजने हेतु अनुभाग अधिकारी की अंकेक्षण अधियाचना संख्या 201/2014 दिनांक 11.11.2014 द्वारा सचिव ई–गवर्नेन्स सोसाईटी, रामपुर से अनुरोध किया गया।

3 वित्तीय स्थितिः–

(क) ई–गवर्नेन्स सोसाईटी रामपुर द्वारा परिवहन की गतिविधियों से सम्बन्धित सेवाओं के अतिरिक्त अन्य गतिविधियां/सेवायें भी प्रदान की जा रही है जैसा कि भूमि दस्तावेज का पंजीकरण, विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र जारी करना व भूमि का पर्चा इत्यादि जारी करना इत्यादि। सोसाईटी द्वारा इन सभी सेवाओं को प्रदान करने से प्राप्त सेवा शुल्क का समांकित/इकटठा एक रोकड़ बही में लेखांकन किया गया था तथा प्राप्त समस्त धनराशि को हिमाचल प्रदेश सहकारी बैंक के खाता संख्या 43110111467 में जमा करवाया गया था। इसके अतिरिक्त उपरोक्त गतिविधियों से प्राप्त आय में से ही समस्त व्यय किया जा रहा था। परिणामस्वरूप ई–गवर्नेन्स सोसाईटी द्वारा परिवहन की गतिविधियों से सम्बन्धित अलग से वितीय स्थिति नहीं बनाई गई है अपितु सोसाईटी द्वारा अपनी समस्त गतिविधियों की समाकिंत वितीय स्थिति तैयार की गई थी, जिसका विवरण **परिशिष्ट "क"** पर दिया गया है। अतः सुझाव दिया जाता है कि अंकेक्षण अवधि की तथा इसके पश्चात परिवहन की गतिविधियों सें प्राप्त सेवा शुल्क तथा उसमें से किए गए व्यय का अलग से लेखा जोखा तैयार करके परिवहन की गतिविधियों से सम्बन्धित वितीय स्थिति अलग से तैयार की जाए जिसे आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ख) रोकड़ बही और बैंक खाते का मिलान करने पर पाया गया कि रोकड़ बही के अनुसार में दिनांक 31.03.2014 को बैंक खाते में ₹1144413/– जमा थी जबकि बैंक खाते में दिनांक

31.03.2014 को ₹1182606/– जमा थी। इस प्रकार दोनो के बीच ₹38193/– का अन्तर था। इस अन्तर का समाधान करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 186/2014 दिनांक 28.10. 2014 द्वारा उपमण्डल अधिकारी (ना0) एवं सचिव ई–गवर्नेन्स सोसाईटी रामपुर से पत्र संख्या आर एम0पी0/एम0एल0सी/2014–435 दिनांक 18.11.2014 द्वारा अनुरोध किया गया था तथा अंकेक्षण अधियाचना के प्रतिउतर में उप मण्डल अधिकारी (ना0) एवं सचिव ई–गवर्नेन्स सोसाईटी रामपुर द्वारा सूचित किया कि इस सम्बन्ध में पूरी छानबीन के उपरान्त अंकेक्षण को सूचित किया जायेगा परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक उनके इस सन्दर्भ में कोई कार्रवाई नहीं की गई। अतः विभागीय स्तर पर छानबीन के उपरान्त इस अन्तर का मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए। इसके अतिरिक्त अंकेक्षण की ओर से यह भी सुझाव दिया जाता है कि बैंक समाधान विवरणी मासिक आधार पर तैयार की जानी सुनिश्चित की जाए और अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र सूचित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

4 यूजर चार्जिज के रूप में प्राप्त राशि में ₹33260/– बैंक में कम जमा करवाना तथा अन्य राशियों को भी देरी से बैंक में जमा करवाया जानाः–

(क) रोकड़ बही एवं बैंक खाते में जमा की गई राशियों की पड़ताल करने पर पाया गया कि सोसाईटी द्वारा निम्नविवरणानुसार ₹33260/–को सम्बन्धित बैंक में कम जमा करवाया गया था और प्राप्त आय को देरी से बैंक में जमा करवाया गया है। इस सम्बन्ध में अधियाचना संख्या 186/2014 दिनांक 22.10.2014 से उप मण्डल अधिकारी (ना0) एवं सचिव ई–गवर्नेन्स सोसाईटी रामपुर को सूचित किया गया था तथा इस अधियाचना के प्रतिउतर में उनके द्वारा पत्र संख्या आर0एम0पी0/एम0एल0सी0/2014–435 दिनांक 18.11.2014 द्वारा सूचित किया गया कि यह धन राशि दिनांक 26.10.14 को बैंक खाता संख्या 43110111467 में जमा करवाई गई है। अतः ₹33260/– को लगभग एक वर्ष के उपरान्त बैंक में जमा करवाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा उक्त राशि जमा करवाए जाने की पुष्टि आगामी अंकेक्षण के दौरान करवाई जाए।

Detail of RLA Income collected during the period 01.01.2012 to 31-12-2012

	राशि
सारथी आय (User Charges)	
01.01.12 से 31.12.12	221440
01.01.13 से 02.01.13	1600
30.03.2006	150
07.03.2006	100
09.01.2007	300
27.01.2007	350

वाहन आय (User Charges)	
01.01.12 से 31.12.12	183400
01.01.13 से 02.01.13	1550
योग	**₹408890**

Detail of RLA Income deposited into Bank Account during the period 01-01-2012 to 31.12.12

अवधि जिसमें User Charges एकत्रित किए गए थे	**User Charges का बैंक खाते में जमा करने की तिथि**	**बैंक खाते में जमा की गई राशि**
01.01.12 से 31.01.12	10.12.12	26160
01.02.12 से 29.02.2012	19.04.12	36680
01.03.2012 से 31.03.2012	08.05.12	32180
01.04.12 से 30.04.12	29.05.12	31260
01.05.12 से 30.05.12	30.05.12	34730
31.05.12 से 30.06.12	18.07.12	24050
Information not mentioned	05.09.12	43650
Information not mentioned	07.09.12	10690
Information not mentioned	10.09.12	690
Information not mentioned	11.09.12	810
Information not mentioned	13.09.12	2430
Information not mentioned	20.09.12	8890
20.09.12	21.09.12	1880
21.09.12 व 22.09.12	24.09.12	1860
24.09.12	25.09.12	730
25.09.12	26.09.12	970
26.09.12	27.09.12	370
27.09.12	28.09.12	1520
28.09.12	03.10.12	2170
03.10.12	04.10.12	1330
04.10.12	05.10.12	2100
05.10.12 से 09.10.12	10.10.12	11610
10.10.12 से 11.10.12	12.10.12	1640
12.10.12 से 18.10.12	19.10.12	10320
Information not mentioned	23.10.12	2250
Information not mentioned	06.11.12	5140
Information not mentioned	23.11.12	33540
23.11.12	24.11.12	1290
24.11.12 से 26.11.12	27.11.12	2620
27.11.12 से 28.11.12	29.11.12	1370

Information not mentioned	03.12.12	2660
Information not mentioned	17.12.12	12240
Information not mentioned	18.12.12	2100
Information not mentioned	19.12.12	1330
Information not mentioned	21.12.12	1500
Information not mentioned	03.01.13	16310
03.12.12 से 06.12.12	09.01.13	4560
	Total	**₹375630**
Amount less deposited in Bank Account		**₹33260**

(ख) इसके अतिरिक्त निम्न वर्णित कई प्रकरणों में भी प्राप्त आय को देरी से बैंक में जमा करवाया गया है जिसके कारण स्पष्ट किए जाए, क्योंकि देरी से बैंक में राशि जमा करवाने से जहां एक ओर प्राप्त राशि के दुर्विनियोजन की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता वहीं दूसरी ओर इससे देरी से जमा करवाई गई राशि पर ब्याज की हानि भी हुई। देरी से बैंक में जमा की गई राशि का विवरण निम्न दिया गया है। अतः प्राप्त सेवा शुल्क की राशि को दिन प्रतिदिन के आधार पर बैंक खाते में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र सूचित किया जाए।

Date of Collection	**Date of Deposit**	**Amount**
12.03.11 से 30.03.11	30.03.11	16810
12.02.11 से 11.03.11	30.03.11	25890
22.05.11 से 30.06.11	23.07.11	39080

5 रोकड़ बही तथा लेखों का रख रखाव नियमानुसार न किया जानाः–

(क) अंकेक्षण में रोकड़ बही की जांच में पाया गया कि रोकड़ बही के कई पृष्ठों का कुल योग गलत लगाए गए थे। अंकेक्षण में जांच करने पर यह भी पाया गया कि रोकड़ बही का मिलान बैंक खाते से नहीं किया गया था। अतः अंकेक्षण की ओर से यह सुझाव दिया जाता है कि रोकड़ बही के दिन प्रतिदिन के आधार पर सही प्रकार से योग लगाए जाए तथा प्रत्येक मास के अन्त में मास के दौरान पाप्त कुल आय और माह के दौरान किए गए कुल व्यय का विवरण देने के उपरान्त अन्तशेष का विवरण देकर बैंक समाधान विवरणी भी बनाई जानी सुनिश्चित की जाए।

(ख) उपरोक्त के अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या टी0पी0टी0–एफ(1) 3/2000 ई–गवर्नेन्स दिनांक 3.9.05 के पैरा संख्या 3 (ए) के अनुसार सोसाईटी द्वारा

नियमानुसार लेंखों का रख रखाव सुनिश्चित करते हुए प्रतिवर्ष Income Expenditure Statement तथा Balance Sheet तैयार की जानी अपेक्षित थी, परन्तु सोसाईटी द्वारा न तो रोकड़ बही का निर्माण सही ढ़ंग से किया गया था और न ही रोकड बही में लेखाकिंत वितीय व्यवहारों से सम्बन्धित विभिन्न Ledgers का निर्माण किया गया था। इसके अतिरिक्त सोसाईटी द्वारा Income & Expenditure Statement तथा Balance Sheet भी तैयार नहीं की गई थी। इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्या 193/2014 दिनांक 05.11.2014 द्वारा उप–मण्डल अधिकारी (ना0) एवं सचिव ई–गवर्नेन्स सोसाईटी रामपुर को सोसाईटी की Income Expenditure Statement तथा Balance Sheet की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करवाने हेतु लिखा गया था। इस अंकेक्षण अधियाचना के प्रतिउतर में उप मण्डल अधिकरी एवं सचिव ई–गवर्नेन्स सोसाईटी रामपुर द्वारा पत्र संख्या आर0एम0पी0/एम0एल0सी0/2014–434 द्वारा सूचित किया कि अवधि 02/2006 से 03/2014 की Income & Expenditure Statement तथा Balance Sheet तैयार नहीं की गई है और जैसे ही यह बनाई जायेगी उसी समय अंकक्षण को प्रस्तुत कर दी जायेगी, परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक इस सम्बन्ध में उनकी ओर से कोई प्रतिउतर प्राप्त नहीं हआ। अतः अधिसूचना संख्या टी0पी0टी0–एफ(1) 3/2000 ई–गवर्नेन्स दिनांक 3.9.05 की धारा 3 (ए) के अनुसार सोसाईटी की Income & Expenditure Statement तथा Balance Sheet तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा उक्त अवधि 02/2006 से 03/2014 की Income & Expenditure Statement तथा Balance Sheet वितीय वर्ष के आधार पर बनाई जानी सुनिश्चित की जाए, जिसे आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

6 राजकीय कोष में ₹325834/– कम जमा करवाए जाने बारेः–

हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या टी0पी0टी0–एफ(1) 3/2000 ई–गवर्नेन्स दिनांक 3.9.05 के पैरा संख्या 3 (ए) के अनुसार आर0एल0ए0 द्वारा सेवा शुल्क से प्राप्त सभी प्राप्तियों का 25 प्रतिशत भाग राजकीय कोष में जमा करवाया जाना अपेक्षित था। अंकेक्षणाधीन अवधि 02/2006 से 31.03.2014 के दौरान सोसाईटी द्वारा परिवहन गतिविधियों से सेवा शुल्क के रूप में निम्नविवरणानुसार ₹2676580/– प्राप्त की गई थी तथा उपरोक्त पैरा संख्या 3 (ए) के अनुसार राजकीय कोष में 25 प्रतिशत की दर से ₹669145/– जमा करवाई जानी अपेक्षित थी, परन्तु जांच में पाया गया कि अवधि 02/2006 से 31.03.14 तक सोसाईटी द्वारा कुल ₹343311/– ही इस लेखा शीर्षक के अन्तर्गत राजकोष में जमा करवाई गई थी। इस प्रकार 25 प्रतिशत भाग के रूप में ₹325834/–राजकोष में कम जमा करवाई

गई थी। इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्या 200/2014 दिनांक 11.11.14 द्वारा उप–मण्डल अधिकारी (ना0) एवं सचिव ई–गवर्नेन्स सोसाईटी रामपुर का सूचित किया गया था तथा इस अंकेक्षण अधियाचना के प्रतिउतर में उप मण्डल अधिकरी (ना0) एवं सचिव ई–गवर्नेन्स सोसाईटी रामपुर द्वारा पत्र संख्या आर0एम0पी0/एम0एल0सी0/2014–436 दिनांक 18.11.14 द्वारा सूचित किया कि यह धनराशि अतिशीघ्र राजकोष में जमा करवा दी जायेगी। अतः नियमों की अनदेखी करके ₹325834/–को राजकोष में कम जमा करवाए जाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा उक्त ₹325834/– को शीघ्र राजकीय कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए। उपरोक्त के अतिरिक्त अंकेक्षण की ओर से यह भी सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में प्राप्त आय के 25 प्रतिशत भाग नियमित रूप से राजकोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए। अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र सूचित किया जाए।

वर्ष	**परिवहन गतिविधियों से एकत्रित सेवा शुल्क के रूप में आय**
2005–06	28100
2006–07	179400
2007–08	154700
2008–09	212500
2009–10	306490
2010–11	332250
2011–12	400080
2012–13	412740
2013–14	650320
कुल योग	**₹2676580**
कुल 25 प्रतिशत भाग देय	**₹669145**

राजकोष मे जमा करवाई गई राशि का विवरण

वा0सं0/दिनांक	**बैंक चैक सं0**	**चालान संख्या/दिनांक**	**राशि**
01.09.08	447069	22/03.09.08	46550
22.12.09	4463068	42/23.12.09	32638
10.08.10	639841	79/16.08.10	53003
01.11.10	6663278	24/01.11.10	76755
13.09.12	388726	117/14.09.12	134365
	कुल योग		**₹343311**
राजकोष में कम जमा करवाई गई राशि (₹669145–₹34331)		**=**	**₹325834**

7 प्राप्त आय की ₹352425/– से सम्बन्धित अभिलेंख उपलब्ध न करवाने बारेः–

रोकड़ बही एवं सम्बन्धित अभिलेख की पड़ताल करने पर पाया गया कि निम्न मासों के दौरान रोकड़ बही में लेखाकिंत आय के सम्बन्ध में प्राप्ति की रसीदें एवं अन्य सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं करवाए गए। अंकेक्षण हेतु अभिलेख उपलब्ध न करवाया जाना एक गम्भीर वितीय अनियमितता है। इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्या 189/2014 दिनांक 31.10.2014 से उप मण्डल अधिकारी ना0 एवं सचिव ई–गवर्नेन्स सोसाईटी रामपुर को सूचित किया गया था, परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक उनके द्वारा इस सम्बन्ध में कोई प्रतिउतर प्राप्त नहीं हुआ। अतः यह मामला विशेष ध्यानार्थ हेतु उच्च अधिकारियों के समक्ष इस आशय में लाया जाता है कि इन सभी अभिलेखों को आगामी अंकेक्षण के दौरान उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

दिनांक	**रोकड़ बही पृ0**	**प्राप्त राशि**	**राशि प्राप्त करने का विवरण**
04.01.07	6	148297	जिलाधीश शिमला से प्राप्त
09.01.07	7	350	E-Governance से सम्बन्धित प्राप्त आय
17.01.07	7	1245	E-Governance से सम्बन्धित प्राप्त आय
17.01.07	7	99068	E-Governance से सम्बन्धित प्राप्त आय
18.01.07	7	920	E-Governance से सम्बन्धित प्राप्त आय
20.01.07	7	1185	E-Governance से सम्बन्धित प्राप्त आय
22.01.07	7	760	E-Governance से सम्बन्धित प्राप्त आय
24.01.07	7	1410	E-Governance से सम्बन्धित प्राप्त आय
27.01.07	7	1280	E-Governance से सम्बन्धित प्राप्त आय
29.01.07	7	1215	E-Governance से सम्बन्धित प्राप्त आय
31.01.07	7	995	E-Governance से सम्बन्धित प्राप्त आय
03.04.07 से 30.04.07	9 व 10	35700	E-Governance से सम्बन्धित प्राप्त आय
20.04.07	10	60000	जिलाधीश शिमला से प्राप्त
योग		**₹352425**	

8 विभिन्न भुगतानों/व्ययों को करने से पूर्व अनिवार्य औपचारिकताओं को पूर्ण नहीं करने बारेः–

अंकेक्षण अवधि के दौरान विभिन्न व्ययों के सम्बन्ध में जांच करने पर पाया गया कि इन व्ययों का भुगतान करने से पूर्व आवश्यक औपचारिकतायें जैसे कि सामान को खरीदने से

पूर्व खुल बाजार से निविदाएं आमन्त्रित करना, खरीदे गए सामान की प्रविष्टि सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टर में करना इत्यादि को पूर्ण नहीं किया गया था। अतः इस सम्बन्ध में संस्था स्तर पर नियमानुसार छानबीन की जाए जिससे इन भुगतानों की सत्यता की पड़ताल की जा सके। इसके अतिरिक्त सोसाईटी द्वारा क्रय किए गए समस्त सामान की प्रविष्टियाँ स्टॉक रजिस्टर में करने के अतिरिक्त औपचारिकताओं को पूर्ण न करने बारे अनियमितता को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा कृत कार्रवाई से इस विभाग को शीघ्र सूचित किया जाए।

वा0सं0/दिनांक	राशि	जिसे भुंगतान किया गया	अनिवार्य आपचारिकता जिसे पूर्ण नहीं किया गया था
16, 08.01.2007	16435	M\S Chaman Industry Racholi, Rampur Bill No. 954 dt. 22.06.06 p\O Ply wood etc.	खुले बाजार से निविदाएं आमन्त्रित नहीं की गई। साथ ही स्टॉक रजिस्टर में खरीदे गए सामान की कोई प्रविष्टि की गई थी
6, 08.01.2007	10917	M\S Perfect computer Rampur, Bill No. 262 Dt. 22-02-06 P\O Samsung Lazer Printer	खुले बाजार से निविदाएं आमन्त्रित नहीं की गई। साथ ही स्टॉक रजिस्टर में खरीदे गए सामान की कोई प्रविष्टि की गई थी
15, 08.01.07	1397	M\S Ankush Glass House Rampur, P\O Stationary	भुगतान डुप्लीकेट बिल पर किया गया था, मूल बिल अभिलेख मे उपलब्ध नहीं था।
50 व 51	9620	M\S Perfect Computer Rampur, Bill No. 410 Dt. 14-05-07 P\O CD writer, Web Camera, Pen Drive, Lazaer Printer	खुले बाजार से निविदाएं आमन्त्रित नहीं की गई। साथ ही स्टॉक रजिस्टर में खरीदे गए सामान की कोई प्रविष्टि की गई थी।
53, 03.07.07	4748	M\S Bushahar Printing Press Rampur, P\O Stationary Articles, Bill No. 3293 dt. 06-06-07, 18-06-07	खुले बाजार से निविदाएं आमन्त्रित नहीं की गई। साथ ही स्टॉक रजिस्टर में खरीदे गए सामान की कोई प्रविष्टि की गई थी।
शून्य, 04.02.09	38122	M\S Himtron Computer Shimla Bill No. 230 dt. 04-02-09 P\O Computer &	खुले बाजार से निविदाएं आमन्त्रित नहीं की गई।

		Electrical Items.	साथ ही स्टॉक रजिस्टर में खरीदे गए सामान की कोई प्रविष्टि की गई थी।
शून्य, 04.02.09	61766	M\S Himtron Computer Shimla Bill No. 229 dt. 04-02-09 P\O 13 No. Batteries Exide	खुले बाजार से निविदाएं आमन्त्रित नहीं की गई। साथ ही स्टॉक रजिस्टर में खरीदे गए सामान की कोई प्रविष्टि की गई थी।
शून्य, 02.08.13	7087	M\S Rampur Offset Printer, Bill No. 733 Dt. 05-07-13 Photostate papers etc.	खुले बाजार से निविदाएं आमन्त्रित नहीं की गई। साथ ही स्टॉक रजिस्टर में खरीदे गए सामान की कोई प्रविष्टि की गई थी।
शून्य, 02.08.13	4987	M\S Rampur Offset Printer, Bill No. 733 Dt. 05-07-13 Photostate papers etc.	खुले बाजार से निविदाएं आमन्त्रित नहीं की गई। साथ ही स्टॉक रजिस्टर म खरीदे गए सामान की कोई प्रविष्टि की गई थी।
शून्य, 02.08.13	4500	M\S Thakur enterprises Shimla, Bill No. 0055 Dt. 02-07-13 Repair of Printer	खुले बाजार से निविदाएं आमन्त्रित नहीं की गई।

9 (आर0एल0ए0) सोसाईटी की अधिकृत गतिविधियों के विपरीत अन्य अनाधिकृत गतिविधियों पर ₹277092/– का व्यय करना:–

(आर0एल0ए0) रामपुर की रोकड़ बही की पड़ताल करने पर पाया गया कि प्राप्त आय में से कुछ व्यय ऐसी मदों पर किया गया था जोकि (आर0एल0ए0) सोसाईटी की अधिकृत गतिविधियों से सम्बन्धित नहीं था। ऐसे सभी व्ययों का विवरण निम्न दिया गया है। अतः इन व्ययों को (आर0एल0ए0) सोसाईटी की आय से करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा इन समस्त व्ययों को उच्च अधिकारियों की कार्योत्तर स्वीकृति प्रापत करके नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में इस तरह के व्यय को (आर0एल0ए0) सोसाईटी की आय से वहन करने से परिहार किया जाए। इस सन्दर्भ में अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र अवगत करवाया जाए।

वा0सं0/दिनांक	**रोकड़ बही पृ0सं0**	**राशि**	**जिसे भुगतान किया गया**	**भुगतान का उददेश्य**
97, दिनांक 31.07.10	97	50000	SDM\SDO (Civil)	रामपुर जेल कैदियों के खाने पीने हेतु ऋण

				दिया गया
शून्य, दिनांक 07.05.10	91	112435	SDM\SDO (Civil)	ऋण दिया गया दर्शाया गया उददेश्य वर्णित नही
शून्य, दिनांक 07.05.10	91	60000	श्री इन्द्र सिंह	रामपुर जेल के व्यय हेतु भुगतान किया गया
शून्य, दिनांक 21.02.11	108	33270	GMTD (BSNL)	उददेश्य वर्णित नहीं
शून्य, दिनांक 03.08.12		21387	Accounts Officer (T & R) BSNL	SDM निवास के दूरभाष का बिल के भुगतान हेतु
योग		**₹277092**		

10 विविधः–

केन्द्रीय ईकाई शिमला से समय–2 पर ई–गवर्नेन्स सोसाईटी (RLA) रामपुर को जारी की गई विभिन्न मदों तथा ई–गवर्नेन्स सोसाईटी (RLA) रामपुर से केन्द्रीय ईकाई शिमला को समय–2 पर केन्द्रीय ईकाई के हिस्से के रूप में भेजी गई राशि का मिलान केन्द्रीय ईकाई शिमला से नहीं किया गया है। अतः इस सन्दर्भ में भी अपक्षित कार्रवाई करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

11 लघु आपत्ति विवरणीः– इसे अलग से जारी नहीं किया गया है।

12 निष्कर्षः– निधि लेखाओं के रख रखाव में अत्याधिक सुधार की आवश्यकता है।

उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(2)(सी)(15)(xii)28/2014 vol-1–2270–2274 दिनांक12.05.2015, शिमला–09

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :–

पंजीकृतः–1 उप मण्डल अधिकारी एवं सचिव (आर0एल0ए0) रामपुर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करवाकर सटिप्पण उत्तर एक माह के भीतर इस विभाग को भेजना सुनिश्चित करें।

2 जिलाधीश शिमला जिला शिमला (हि0प्र0)

3 निदेशक (परिवहन विभाग) हि0प्र0 शिमला–03

4 अवर सचिव (परिवहन) हि0प्र0 शिमला–02

5 श्री अनिल शर्मा, अनुभाग अधिकारी द्वारा..........................

उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.